**संख्या-36/2015/30जेपीआर/22-3-15-800(66)/2011**

**प्रेषक,**

**आर0के0 द्विवेदी,**
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

**जिला मजिस्ट्रेट,**
सहारनपुर।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3*** ***लखनऊ: दिनांक: 16 फरवरी, 2015***

**विषय-** जिला कारागार, सहारनपुर के बंदी इम्त्याज पुत्र श्री इश्त्याक, निवासी-मौ0 चौक फरोशान, थाना-मण्डी, जनपद-सहारनपुर को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सहारनपुर के बंदी इम्त्याज पुत्र श्री इश्त्याक, निवासी-मौ0 चौक फरोशान, थाना-मण्डी, जनपद-सहारनपुर को शासनादेश संख्या-82/2738जेएल/22-3-14-800(66)/2011, दिनांक 26-11-2014 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

**भवदीय,**

**(आर0के0 द्विवेदी)**
**उप सचिव।**

**संख्या-36/2015/30जेपीआर(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर।
4- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(आर0के0 द्विवेदी)**
**उप सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in